

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

विषय- श्री श्री रामलीला समिति, रावतगंज, गोरखपुर द्वारा नौ दिवसीय रामलीला के मंचन हेतु प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय मद में रू० 1 50 लाख (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1392/सं०नि०-15(10)/2020-21-4 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 का कृपया सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री श्री रामलीला समिति, रावतगंज, गोरखपुर द्वारा नौ दिवसीय रामलीला के मंचन हेतु प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय मद में रू० 1 50 लाख (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू० 1.50 लाख (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
- (3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू० 1 50 लाख (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 137 /2020/ 1507/(1)/चार-2020, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकरणी जारी किया गया है, अतः इस पर इस्ताहर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> में सत्यापित की जा सकती है।